

पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में

अपराधिक मिसेलेनियस सं० 44987/2015

जिला नालन्दा का शिकायत वाद सं० 484/2015 से उद्धृत

मनोज कुमार पुत्र श्री सच्चिदानंद सिन्हा, वर्तमान में शाखा प्रबंधक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, शाखा कार्यालय, केशरी नगर, थाना-शास्त्री नगर, पटना के रूप में तैनात हैं।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य

2. नवल किशोर शर्मा पुत्र स्वर्गीय राम बच्चन शर्मा के पुत्र, किला गढ़पार, बिहारशरीफ, थाना-बिहारशरीफ, जिला-नालन्दा के निवासी, वर्तमान में मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भभुआ में निलम्बन के तहत कार्यालय स्केल-॥ के रूप में तैनात हैं।

..... विरोधी पक्ष/गण

के साथ

2015 के आपराधिक विविध संख्या 44861

जिला-नालन्दा शिकायत वाद सं० 484/2015 से उद्धृत

ए. के.भाटिया ऊर्फ अनिल कुमार भाटिया ऊर्फ ए० के भाटिया पुत्र स्वर्गीय एस. सी. भाटिया, वर्तमान में अध्यक्ष, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, मुख्य कार्यालय, मीना प्लाजा, संग्रहालय के दक्षिण, थाना-कोतवाली, पटना-1 के रूप में तैनात हैं।

..... याचिकाकर्ता/गण

बनाम

1. बिहार राज्य

2. नवल किशोर शर्मा पुत्र स्वर्गीय राम बच्चन शर्मा, किला गढ़पार, बिहारशरीफ, जिला-नालन्दा के निवासी, वर्तमान में मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, भभुआ में निलम्बन के तहत अधिकारी स्केल-॥ के रूप में तैनात हैं।

..... विरोधी पक्ष/गण

उपस्थिति:

(आपराधिक मिसेलेनियस संख्या 44987 /2015)

याचिकाकर्ता के लिए : श्री सुरेश प्रसाद सिंह, नंबर 1, अधिवक्ता
श्रीमती कुमारी रश्मि, अधिवक्ता।
राज्य के लिए : श्री बिनोद कुमार नं. 3, सहायक लोक अभियोजक
विरोधी पक्ष संख्या 2 के लिए: श्रीमती वैष्णवी सिंह, अधिवक्ता (दोनों ही मामलों में)
(आपराधिक मिसेलेनियस संख्या 44987 /2015 में)
याचिकाकर्ता के लिए : श्री सुरेश प्रसाद सिंह, नंबर 1, अधिवक्ता
श्रीमती कुमारी रश्मी, अधिवक्ता।
राज्य के लिए : श्री बिनोद कुमार नं. 3, सहायक लोक अभियोजक

=====

दंड प्रक्रिया संहिता---धारा 205---दायर और दायरा---आदेश को रद्द करने की याचिका जिसके तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर 205 याचिका खारिज कर दी गई थी---निष्कर्ष: हालांकि, सीआरपीसी की धारा 205 के तहत मजिस्ट्रेट को दी गई शक्तिपूर्णतया विवेकाधीन है, लेकिन इसका प्रयोग उचित और विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से अभियुक्त की न्यायालय में उपस्थिति केवल उसे न्यायालय में देखने के लिए उसकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नहीं है, बल्कि न्यायालय को मुकदमे को आगे बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए है और यदि अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी मुकदमे की प्रगति हो सकती है, तो न्यायालय निश्चित रूप से उन कष्टों की भयावहता को ध्यान में रखते हुए कर सकता है, जो किसी विशेष अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय में स्वयं को उपस्थित करने के लिए सहन करना पड़ सकता है याचिकाकर्ता संख्या 1 मध्य बिहार ग्रामीण बैंक का अध्यक्ष था, जिसके पास बैंक की 675 शाखाओं पर पर्यवेक्षी और नियंत्रण शक्ति थी और याचिकाकर्ता संख्या 2 उक्त बैंक की केशरी नगर शाखा में तैनात शाखा प्रबंधक था और इसके अलावा, दोनों याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में वचन दिया कि मुकदमे के दौरान उनके संबंधित वकीलों द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किया जाएगा और उनके द्वारा कार्यवाही में बाधा नहीं डाली जाएगी और वे निचली अदालत के सभी आवश्यक निर्देशों का पालन करेंगे--- सीआरपीसी की धारा 205 की उपधारा (2) के प्रावधान के अनुसार, मजिस्ट्रेट के पास किसी ऐसे अभियुक्त को, जिसकी सीआरपीसी की धारा 205 की उपधारा (1)

के अंतर्गत व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दी गई है, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश देने की पर्याप्त शक्ति है, यदि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति अपेक्षित है या उसने उसे दी गई राहत का दुरुपयोग किया है --- दोनों याचिकाकर्ता संबंधित समय के दौरान संबंधित बैंक में प्रमुख पदों पर थे और दोनों का निष्पक्ष और स्वच्छ पूर्ववृत्त है --- आक्षेपित आदेश न्यायसंगत और उचित प्रतीत नहीं होता है और, तदनुसार, अपास्त किया जाता है --- याचिका स्वीकृत की जाती है(पैरा-9, 10)

(2001) 7 एससीसी 401

.....को संदर्भित किया गया।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

गणपूर्ती:माननीय न्यायमूर्ति श्री शैलेंद्र सिंह

मौखिक आदेश

7 06-02-2025

चूंकि दोनों याचिकाएं 2015 के शिकायत मामला संख्या 484 (सी) में पारित एक ही आदेश के खिलाफ दायर की गई हैं, इसलिए उन पर एक सामान्य आदेश द्वारा एक साथ निर्णय लिया जा रहा है।

2. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेश प्रसाद सिंह, विरोधी पक्ष नं. 2 की विद्वान अधिवक्ता श्रीमती वैष्णवी सिंह और राज्य के लिए श्री विनोद कुमार नं. 3 विद्वान सहायक लोक अभियोजक ।

3. याचिकाकर्ताओं, ए. के.भाटिया ऊर्फ अनिल कुमार भाटिया ऊर्फ ए.के.। भाटिया और मनोज कुमार, जो 2015 के शिकायत मामला संख्या 484 (सी) में आरोपी हैं, ने संयुक्त रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 (संक्षेप में द0प्र0सं0) के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त करने की प्रार्थना की गई और उनकी प्रार्थना को विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांकित 08.09.2015 के आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया गया, जिसे दोनों याचिकाओं में इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई है।

4. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता ए. के.भाटिया ऊर्फ अनिल कुमार भाटिया ऊर्फ ए.के.भाटिया मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष थे जब उन्होंने द0प्र0सं0 की धारा 205 के तहत एक याचिका दायर की थी और उक्त बैंक की 675 शाखाएं उनकी देखरेख में थीं और उन्हें उक्त सभी शाखाओं पर पर्यवेक्षी, प्रशासनिक और नियंत्रण कार्य करना था और 2015 के शिकायत मामला संख्या 484 (सी) में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा कथित अपराधों के संज्ञान के आलोक में उनके खिलाफ की जाने वाली सभी कार्यवाही में भाग लेना उनके लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए, उनकी आधिकारिक स्थिति के साथ-साथ

निचली अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने में परेशानी को देखते हुए, उन्होंने द०प्र०सं० की धारा 205 के तहत एक याचिका दायर की, जिसे विद्वान मजिस्ट्रेट ने बिना कोई उचित कारण बताए खारिज कर दिया था और आदेश में यह उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता द्वारा कोई विशेष कारण नहीं दिखाया गया था जबकि याचिका में पर्याप्त विशेष कारणों का उल्लेख किया गया था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता, मनोज कुमार उक्त बैंक की केशरी नगर शाखा के शाखा प्रबंधक थे और उन्हें संबंधित शाखा में अपना आधिकारिक काम करना पड़ता था और अपने आधिकारिक काम की प्रकृति के कारण, उन्हें प्रत्येक तारीख को उक्त शिकायत मामले के संबंध में विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष मुकदमे की कार्यवाही में भाग लेने में भी कठिनाई हो रही थी और उनके द्वारा सह-अभियुक्त ए. के.भाटिया ऊर्फ अनिल कुमार भाटिया ऊर्फ ए.के.भाटिया के साथ संयुक्त रूप से दायर याचिका में विशेष कारणों का भी उल्लेख किया गया था।

5. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि द०प्र०सं०, की धारा 205 के तहत अनुमति देने के लिए प्रार्थना की गयी है जिसमें अनिवार्य आवश्यकता समन जारी करना है, हालांकि, इस मामले में, अन्य प्रक्रियाएं जैसे कि जमानती वारंट या गिरफ्तारी वारंट आदि जारी किए गए थे, लेकिन कुछ ही समय के भीतर सभी प्रक्रियाएं विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा समाप्त कर दी गईं, हालांकि, शुरू में समन जारी किए गए थे जिसके बारे में कोई विवाद नहीं है और विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा यह उल्लेख नहीं किया गया है कि दोनों याचिकाकर्ता जानबूझकर अपने मामले के प्रारंभिक चरण में अपनी उपस्थिति से बच गए थे जब समन जारी किए गए थे। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि द०प्र०सं० की धारा 205 की उप धारा (2) के प्रावधान के अनुसार, मजिस्ट्रेट के पास एक आरोपी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश देने की शक्ति है जब भी वह सोचता है कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है या वह पाता है कि आरोपी को दी गई व्यक्तिगत उपस्थिति की छूट का उसके द्वारा दुरुपयोग किया गया है। इन प्रस्तुतियों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने इस मामले में पारित इस अदालत के एक आदेश राजेश कुमार चौधरी ऊर्फ राजेश चौधरी (अपराधिक

मिसेलेनियस सं० 15828/2010 पर भरोसा रखा है।) और जिन प्रासंगिक अनुच्छेदों पर निर्भरता रखी गई है, उन्हें निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः.

“7. सही मायने में द०प्र०सं० की धारा 205 के लागू होने के संबंध में आपराधिक कार्यवाही में विद्वत निचली अदालत के समक्ष उपरोक्त विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। निश्चित रूप से, धारा 205 द०प्र०सं० के अलावा, कुछ अन्य प्रावधान भी द०प्र०सं० में देखे जा सकते हैं, जिसके द्वारा अभियुक्त की भौतिक उपस्थिति होती है और को 317 में अभियुक्त की शारीरिक उपस्थिति को समाप्त करने मुकदमे के संचालन को नियंत्रित करने वाले अन्य प्रावधानों के साथ-साथ पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का आह्वान किया जाता है। इन सभी प्रासंगिक धाराओं की उपस्थिति ने सुझाव दिया कि प्रत्येक तिथि पर अभियुक्त की भौतिक उपस्थिति कार्यवाही के संचालन के लिए अनिवार्य नहीं है और जब भी परिस्थितियां आवश्यक हों, उन्हें हटा दिया जाना चाहिए। द०प्र०सं० के धारा 205 के दायरे को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ इस न्यायालय द्वारा बार-बार ध्यान में रखा गया है और इसे उत्पीड़न और असुविधा के लिए संरक्षित अभियुक्त के हित के लिए एक विशेषाधिकार के रूप में देखा गया है। हालांकि, इस स्तर पर अपराध की गंभीरता पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

“9. द०प्र०सं० की धारा 205 को देखने के बाद, यह स्पष्ट है कि इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग अदालत को कारण दर्ज करने के बाद समन जारी करने के चरण में जब भी कोई प्रार्थना की जाती है तो किसी आरोपी की शारीरिक उपस्थिति को समाप्त करने का अधिकार देता है। जबकि दूसरा भाग मजिस्ट्रेट को

यदि वह चाहे तो अभियुक्त की शारीरिक उपस्थिति का निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है।"

"10. जैसा कि ऊपर बताया गया है, पहला शब्द समन को संदर्भित करता है। समन, वारंट, कुर्की अदालत द्वारा उपस्थिति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पालन किए जाने वाले कदम हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 का दायरायह है कि जब आरोपी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया है को राम हर्ष दास बनाम बिहार राज्य व अन्य में विचार किया गया था 1998 (1) पी. एल. जे. आर. 502 रिपोर्टेड है जिसमें पैराग्राफ-48 में यह इस प्रकार देखा गया है:-

" मेरा विचार है कि एक बार जब मजिस्ट्रेट वारंट मामले में पहली बार वारंट जारी कर देता है, तो संहिता की धारा 205 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। हालाँकि, मैं कह सकता हूँ कि ऐसे मामलों में भी, यह न्यायालय संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग में व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त कर सकता है यदि न्याय के उद्देश्यों के लिए एक उचित मामला बनाया जाता है।"

6. इसके विपरीत, विरोधी पक्ष सं० 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने दोनों याचिकाओं का जोरदार विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि विशेषाधिकार के दुरुपयोग की संभावना है, यदि यह द० प्र० सं० की धारा 205 के तहत याचिकाकर्ताओं को दिया जाता है और इस पहलू पर विचार करते हुए, विद्वान मजिस्ट्रेट ने अनुरोध को सही ढंग से खारिज कर दिया है।

7. यद्यपि राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक लोक अभियोजक ने भी दोनों याचिकाओं का विरोध किया है, लेकिन निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया है कि द० प्र० सं० की धारा 205 की उप धारा (2) के तहत प्रावधान स्पष्ट रूप से कहता है कि जांच या मुकदमे के दौरान किसी भी स्तर पर, मजिस्ट्रेट जिसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 की उप धारा (1) के

तहत अपनी शक्ति का प्रयोग किया है अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दे सकता है यदि आवश्यक हो तो उक्त प्रावधान का प्रयोग विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकता है।

8. दोनों पक्षों को सुना और आक्षेपित आदेश का अध्ययन किया।

9. हालाँकि, द० प्र० सं० की धारा 205 के तहत मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्ति पूरी तरह से विवेकाधीन है, लेकिन इसका उपयोग उचित और विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से। पहली नजर में मैं 401 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना चाहूंगा लिमिटेड भास्कर इंडस्ट्रीज बनाम भिवानी डेनिम और अपेरल्स लिमिटेड अन्य रिपोर्ट किया हुआ (2001) 7 एस. सी. सी. 401 जिसमें माननीय अदालत द्वारा द० प्र० सं० की धारा 205 के दायरे की व्याख्या की गई थी और यह देखा गया था कि अदालत में आरोपी की उपस्थिति केवल उसे अदालत में देखने के लिए उसकी उपस्थिति के लिए नहीं है, यह अदालत को मुकदमे के साथ आगे बढ़ने में सक्षम बनाता है और यदि मुकदमे की प्रगति आरोपी की अनुपस्थिति में भी हासिल की जा सकती है तो अदालत निश्चित रूप से उन पीड़ाओं के परिमाण को ध्यान में रख सकती है जो एक विशेष आरोपी व्यक्ति को उस विशेष मामले में अदालत में उपस्थित होने के लिए सहन करना पड़ सकता है और उपयुक्त मामलों में मजिस्ट्रेट आरोपी को अनुमति दे सकते हैं यहां तक कि एक अधिवक्ता के माध्यम से पहली उपस्थिति भी। जब किसी अभियुक्त को धारा 205 (1) के तहत दी गई राहत का दुरुपयोग किया जाता है या मुकदमे के किसी भी चरण में उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता होती है तो धारा 205 (2) के तहत मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्ति की व्याख्या भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में की गई है जिसे निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः.

“धारा 205 (2) में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट अपने विवेक से कार्यवाही के किसी भी चरण में अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश दे सकता है धारा 317 (1) का अंतिम अंग मजिस्ट्रेट को कार्यवाही के किसी भी बाद के चरण में अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने का विवेकाधिकार प्रदान करता है। वह इस तरह की उपस्थिति को लागू करने के लिए अन्य कदम भी उठा सकता है। इस प्रकार यह मजिस्ट्रेट की शक्तियों के भीतर और उसके

न्यायिक विवेकाधिकार में है कि वह किसी समन मामले में ऐसी कार्यवाही के दौरान या किसी विशेष चरण में किसी आरोपी की व्यक्तिगत उपस्थिति को समाप्त कर दे, यदि मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति के आग्रह से उसे भारी पीड़ा या क्लेश होगा, और तुलनात्मक लाभ कम होगा। इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग केवल उन दुर्लभ उदाहरणों में किया जाना चाहिए जहां अभियुक्त दूर रहने या व्यवसाय करने के कारण या किसी भौतिक या अन्य अच्छे कारणों से मजिस्ट्रेट को लगता है कि अभियुक्त की व्यक्तिगत उपस्थिति को छोड़ना केवल न्याय के हित में होगा हालांकि मजिस्ट्रेट को ऐसे अभियुक्त को लाभ पहुँचाने के लिए निश्चित रूप से ऊपर उल्लिखित सावधानियाँ बरतनी चाहिए। जब कोई अभियुक्त अपने विधिवत अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से मजिस्ट्रेट के पास आवेदन करता है और मजिस्ट्रेट के साथ अपनी व्यक्तिगत उपस्थिति के लाभ के लिए प्रार्थना करता है तो वह आगे बढ़ने से पहले सभी पहलुओं पर विचार कर सकता है और उस पर उचित आदेश पारित कर सकता है।"

10. उपयुक्त मामले विरोधी पक्ष सं० 2 द्वारा दायर शिकायत पर आधारित है, जिसे शिकायत दर्ज करने से पहले बैंक के अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा निलंबित कर दिया गया था, जिससे दोनों याचिकाकर्ता संबंधित समय पर संबंधित थे और महत्वपूर्ण पदों पर थे। आक्षेपित आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई विशेष कारण नहीं दिखाया गया है, लेकिन यह तथ्य सही नहीं है क्योंकि यह द० प्र० सं० की धारा 205 के तहत दायर आवेदन में उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता ए० के० भाटिया ऊर्फ अनिल कुमार भाटिया ऊर्फ ए.के.भाटिया मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष थे जिनके पास बैंक की 675 शाखाओं पर पर्यवेक्षी और नियंत्रण करने की शक्ति थी और याचिकाकर्ता मनोज कुमार उक्त बैंक की केशरी नगर शाखा में तैनात शाखा प्रबंधक थे और इसके अलावा, दोनों याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में कहा कि मुकदमे के दौरान उनके संबंधित अधिवक्ता उनका प्रतिनिधित्व करेंगे और उनके द्वारा कार्यवाही में बाधा नहीं आएगी और वे निचली अदालत के सभी आवश्यक निर्देश का पालन करेंगे और आगे कहा कि जब भी निचली अदालत द्वारा उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता होगी, वे व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे। यहां यह उल्लेख करना

प्रासंगिक है कि द०प्र०सं० की धारा 205 की उप-धारा (2) के प्रावधान के अनुसार, मजिस्ट्रेट के पास एक ऐसे आरोपी को निर्देश देने की पर्याप्त शक्ति है, जिसकी व्यक्तिगत उपस्थिति को द०प्र०सं० की धारा 205 की उप-धारा (1) के तहत समाप्त कर दिया गया है, यदि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता है या उसने द०प्र०सं० की धारा 205 की उप-धारा (1) के तहत उसे दी गई राहत का दुरुपयोग किया है और दोनों याचिकाकर्ता प्रासंगिक समय के दौरान संबंधित बैंक में प्रमुख पदों पर थे, हालांकि याचिकाकर्ता ए. के. भाटिया ऊर्फ अनिल कुमार भाटिया ऊर्फ ए. के. भाटिया अब सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं, हालांकि वर्तमान समय में उन्हें तेलंगाना राज्य में एक महत्वपूर्ण नौकरी सौंपी गई है और याचिकाकर्ता, मनोज कुमार अभी भी सेवा में हैं, जैसा कि उनके अधिवक्ता ने कहा है और दोनों का निष्पक्ष और स्वच्छ इतिहास है, आगे, उन्होंने बचाव पक्ष लिया है कि शिकायतकर्ता (विरोधी पक्ष सं० 2) ने बैंक द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय कार्यवाही के कारण बदला लेने वाले रवैये के साथ अपनी शिकायत दर्ज की है, इसलिए, ऐसी स्थिति में, दोनों याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना को अस्वीकार करने वाला आदेश न्यायसंगत और उचित नहीं लगता है और वही दर्शाता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने आदेश पारित किया है याचिकाकर्ताओं की प्रार्थना की योग्यता पर विचार किए बिना मनमाने ढंग से आदेश पारित किया है तदनुसार, यह न्यायालय दोनों याचिकाओं में बल पाता है और आक्षेपित आदेश को इसके द्वारा दरकिनार कर दिया जाता है और दोनों याचिकाकर्ताओं को 2015 के शिकायत मामले संख्या 484 (सी) में संबंधित निचली अदालत के समक्ष उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति से मुक्त कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता व्यक्तिगत रूप से तब उपस्थित होंगे जब निचली अदालत द्वारा उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति की आवश्यकता होती है और इसके अलावा, निचली अदालत के पास वह शक्ति होगी जो निचली अदालत को द०प्र०सं० की धारा 205 की उप धारा (2) के तहत उपलब्ध है और यदि पर्याप्त परिस्थिति मौजूद है तो इसका उपयोग किसी भी स्तर पर किया जा सकता है। तदनुसार, दोनों याचिकाओं को स्वीकार किया जाता है।

(शैलेंद्र सिंह, न्यायमूर्ति)

बीकेएस/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।